न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 29/06 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :–2006/00034

उनवान

1. सौनो पुत्री तुरसी पत्नी गोधना जाति गुसाई निवासी दुलारो तहसील मनियॉ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. ईमरती वेवा दुर्गा
2. भगवान सिंह
3. रामगिरि
4. विशालगिरि
5. मुन्ना

पिसरान दुर्गा — जाति गुसाई नि0 मठ बादलपुर तहसील बाडी, धौलपुर।

6. मुरली पुत्र मंगलगिरि
7. महादेवी वेवा महाराजगिरि
8. राजवीर
9. हरिओम

पिसरान महाराजगिरि — जाति गुसाई नि0 कुतकपुर तह0 बाडी जिला धौलपुर

10. गोवर्धन पुत्र सरवन जाति गुसाई निवासी बागचीनी तह0 जौरा जिला मुरैना(म0प्र0)(मृतक)
    10/1. बाबूलाल पुत्र गोवर्धन जाति गुसाई निवासी बाबरी तह0 जौरा जिला मुरैना।
11. गरीबा पुत्र सरवन जाति गुसाई निवासी बागचीनी तह0 जौरा जिला मुरैना (मृतक)
12. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील बाडी वहैसियत लैण्ड होल्डर

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी प्रकरण संख्या 111/02 उनवानी सौनो बनाम ईमरती।

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश चन्द श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–05.04.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2006 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी/अपीलाण्ट ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी परिशिष्ट क खसरा नम्बर 693, 641, 642, 652, 658 तथा परिशिष्ट

ख, खसरा नम्बर 676 वाके ग्राम बीझौली तहसील बाडी की परिशिष्ट क, के पूर्व खातेदार वादिया के भाई मनीगिरि व वेदगिरि थे। उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी विरासतन वादिया/अपीलाण्ट को प्राप्त हुयी। परिशिष्ट ख की आराजी में मनीगिरि व वेदगिरि का 1/2 भाग वादिया/अपीलाण्ट को विरासतन प्राप्त हुआ। बन्दोबस्त के दौरान विवादग्रस्त आराजी के 02 खाते कायम किये गये जिनमें से एक प्रतिवादी/रैस्पो0 01 लगायत 05 के पूर्वज दुर्गा के नाम कायम कर दिया तथा दूसरा खाता प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 06 मुरली तथा प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 07 के पति महाराजगिरि तथा तीसरे भाई मोहन के नाम कायम कर दिया जो साजिशन किय गये। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनरथ न्यायालय ने उक्त दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादिया/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपरिथत रहें, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनरथ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो व सिद्धान्तों की उपेक्षा करते हुये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनरथ न्यायालय ने अपीलाण्ट के दस्तावेजो पर गम्भीरता से गौर नहीं किया बल्कि उन्हें सरसरी तौर पर भी नहीं देखा है एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में मौखिक साक्ष्यो का विवेचन किया. है। अधीनरथ न्यायालय ने अपीलाण्ट व उसके भाई मनीगिरि व वेदगिरि का विवादग्रस्त आराजी पर आधिपत्य ना मानने मे कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी निवेदन है कि अधीनरथ न्यायालय ने रैस्पो0 के पूर्वज दुर्गा का नाम बतौर शिकमी काश्तकार राजस्व रिकार्ड में कही भी दर्ज नहीं होने पर भी उसे शिकमी काश्तकार मानने में कानूनी भूल की है। रैस्पो0 विवादित आराजी में शिकमी दर्ज नहीं है बल्कि कहीं कहीं बटाईदार के इंद्राज जरूर हैं एंव एक बटाईदार को कभी खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1996 पेज 319, 1999 पेज 427, 1990 पेज 456, 1995 पेज 316, 2018 पेज 715, 1983 पेज 364, 1990 पेज 17, 1999 पेज 317, आरएलआर 2007 पेज 462 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनरथ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित नौ तनकियाँ कायम की हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः-

5. <u>तनकी संख्या 01</u>- इस तनकी बाबत् कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस तनकी बाबत् कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। अतः अपीलाण्ट/वादिया मौखिक साक्ष्य अनुसार मनीगिरि, वेदगिरि की बहन सिद्ध है। अतः तनकी वहक अपीलाण्ट/वादिया तय की जाती है।

6. <u>तनकी संख्या 02 व 07</u>- उक्त दोनों तनकी एक दूसरे की पूरक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने एक साथ तय की हैं। तनकी संख्या 02 अपीलाण्ट/वादिया के जिम्मे है एवं तनकी संख्या 07 रैस्पो0/प्रतिवादीगण के जिम्मे है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य कही भी सिद्व नहीं है कि अपीलाण्ट/वादिया विवादित आराजी को बटाई पर कराती रही और फसल लेती रही हो। जबकि रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 09 के पूर्व पुरूष, मनीगिरि व वेदगिरि के जीवनकाल से ही परिशिष्ट 'क' की आराजी पर संवत 2012 से मुताबिक राजस्व रिकार्ड, लगान पर शिकमी काश्त करते चले आ रहे हैं एवं परिशिष्ट 'ख' की आराजी को मनीगिरि, वेदगिरि एवं रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 10 व 11 अपने जीवनकाल में रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 09 के पूर्व पुरूष को

भू-प्रबन्ध अधिकारी,

काश्त पर देकर काबिज करा चुके थे; जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से सिद्ध होता है। तत्पश्चात् रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 09, विरासतन विवादित आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट/वादिया के नाम विवादित आराजी पर ना तो मुताबिक राजस्व रिकार्ड कभी दर्ज रहे हैं और ना ही वह कभी भी मनीगिरि व वेदगिरि की मृत्यु उपरान्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त रही हैं। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी में दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर वहक प्रतिवादी विरूद्ध अपीलाण्ट/वादिया तय की हैं। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

7. <u>तनकी संख्या 03 व 8</u>– उक्त दोनों तनकी भी एक दूसरे की पूरक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने एक साथ तय की हैं। चूंकि तनकी संख्या 07 के विवेचन में पाया गया है कि विवादित आराजी को मनीगिरि व वेदगिरि ने हमेशा–हमेशा पर शिकमी–लगान पर काश्त करने हेतु प्रतिवादीगण को दे दी व काबिज करा दिया तो बन्दोबस्त विभाग द्वारा उचित ही उपकृषक के इन्द्राज से प्रतिवादीगण रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 09 के पूर्व पुरूष को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में भी हम कोई हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं।

8. <u>तनकी संख्या 04 लगायत 6</u>– उक्त तीनों तनकियॉ तनकी संख्या 01 लगायत 03, 07 व 08 के निष्कर्ष से प्रभावित होती हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय की उक्त तनकियो बाबत् विवेचना में भी हमें कोई त्रुटि इंगित नहीं होती है।

9. <u>अनुतोष</u> :– समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य के परीक्षण में अपीलाण्ट/वादिया का विवादित भूमि पर स्वत्व एवं काबिज होना नहीं पाया गया है। अतः अपीलाण्ट/वादिया अपना वाद सिद्ध नहीं कर पायी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हक्षतक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2006 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

05-04-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दाबानो)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 99/2001 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

सौनो पुत्री तुरसी पत्नी गोधना जाति गुसाई निवासी दुलारो तहसील मनियॉ जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. ईमरती वेवा दुर्गा
2. भगवानसिंह
3. रामगिरि — पिसरान दुर्गा — जाति गुसांई नि0 मठ बादलपुर तहसील बाडी,धौलपुर।
4. विशालगिरि
5. मुन्ना

6. मुरली पुत्र मंगलगिरि
7. महादेवी वेवा महाराजगिरि
8. राजवीर — पिसरान महाराजगिरि — जाति गुसाई नि0 क़तकपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।
9. हरिओम

10. गोर्वधन पुत्र सरवन जाति गुसाई निवासी बागचीनी तह0 जौरा जिला मुरैना (म0प्र0) (मृतक)
    10/1. बाबूलाल पुत्र गोर्वधन जाति गुसाई निकासी बाबरी तह0 जौरा जिला मुरैना।
11. गरीबा पुत्र सरवन जाति गुसाई निवासी बागचीनी तह0 जौरा जिला मुरैना (मृतक)
12. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील बाडी बहैसियत लैण्ड होल्डर

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी बाडी दि0 03.02.2006 प्र.सं. 111/2002 उनवानी सौनो बनाम ईमरती।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफ़िसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री सुरेश चन्द श्रीवास्तव मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अधिवक्ता अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2006 यथावत रखे जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....05....माह....04.....सन्.....2021.... को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....
औहदा.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।